डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 173] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 7 अगस्त 2001—श्रावण 16, शक 1923

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 अगस्त 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-7/13/2001.—छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 2001 की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ट) के उपखंड (एक), (दो), (चार), (पांच), (छः) और (सात) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को माध्यमिक शिक्षा मंडल के सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है और उनके नाम 'छत्तीसगढ़ राजपत्र' में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार अधिसूचित करती है, अर्थात :—

1. श्रीमती जया तवारिस, प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रायपुर.
2. श्री बी. डी. बर्रे, प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अहिवारा, जिला दुर्ग.
3. श्री सी. बी. साहू, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डाइट, बस्तर.
4. श्री अजयनाथ, व्याख्याता, माध्यमिक शाला, बैतलपुर, जिला बिलासपुर.
5. श्रीमती नाहिद खान, व्याख्याता, दानी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रायपुर.
6. श्री कुलदीपसिंह ठाकुर, व्याख्याता, अंग्रेजी, श्रृंगी ऋषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नगरी, जिला धमतरी.
7. सिस्टर सरिता, होलीक्रास स्कूल, पेंशनवाडा परिसर, रायपुर.
8. श्री चैनसिंह सामले, विधायक, मालखरोदा, जिला जांजगीर.
9. श्रीमती फूलोदेवी नेताम, विधायक, केशकाल, जिला बस्तर.
10. श्री अग्नि चन्द्राकर, विधायक, महासमुंद.

11. श्री महन्त रामसुन्दर जी, दूधाधारी मठ, रायपुर.
12. श्री जी. एल. जोशी, सेवानिवृत्त उप-संचालक, शिक्षा, जय स्तंभ चौक, डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव.
13. श्री देवीप्रसाद जी बच्चूजांजगीरी, रायपुर.
14. श्री लक्ष्मण मस्तूरिया, ब्रम्हपुरी, रायपुर.

2. उपरोक्त नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 3 वर्ष की होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील कुमार कुजूर, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 अगस्त 2001

क्रमांक एफ-10-7/13/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-7/13/2001 दिनांक 3 अगस्त 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील कुमार कुजूर, विशेष सचिव.

Raipur, the 3rd August 2001

NOTIFICATION

No. F-10-7/13/2001.—In exercise of the powers conferred by sub-clauses (i), (ii), (iv), (v), (vi) and (vii) of clause (T) of sub-section (1) of Section 4 of the Chhattisgarh Madhyamik Shkisha Adhiniyam, 2001, the State Government hereby nominate the following persons as members of the Board of Secondary Education and notify their names in the Chhattisgarh Rajpatra as required by sub-section (2) of the said Section, namely :—

1. Smt. Jaya Tawaris, Principal, Government Higher Secondary School, Raipur.
2. Shri B. D. Barre, Principal, Government Higher Secondary School, Ahiwara, Distt. Durg.
3. Shri C.B. Sahu, Principal, DIET, Bastar.
4. Shri Ajainath, Lecturer, High School, Baitalpur, Distt. Biiaspur.
5. Smt. Nahid Khan, Lecturer, Dani Higher Secondary School, Raipur.
6. Shri Kuldip Singh Thakur, Lecturer (English) Shrangi Rishi Higher Secondary School, Nagri Distt. Dhamtari.
7. Sister Sarita, Holy Cross School, Pensionbada Premises, Raipur.
8. Shri Chain Singh Samle, M.L.A., Malkharoda, Distt. Janjgir.
9. Smt. Phoolodevi Netam, M.L.A., Keshkal Distt. Bastar.
10. Shri Agni Chandrakar, M.L.A., Mahasamund.
11. Shri Mahant Ramsunderdasji, Dudhadhari Math, Raipur.
12. Shri G. L. Joshi, Retd. Dy. Director, Education, Jai Stambha Chowk, Dongargarh Distt. Rajnandgaon.
13. Shri Devi Prasadji Bachujanjgiri, Raipur.
14. Shri Laxman Masturia, Bramhapuri, Raipur.

2. The term of office of the above nominated members shall be three years from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SUNIL KUMAR KUJUR, Special Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.